

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक मुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ नज़द / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 116]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 मार्च 2018 — चैत्र 1, शक 1940

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2018

अधिसूचना

क्रमांक एल 2018-04-00428/वित्त/नियम/चार. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 11 में, जहां कहीं भी शब्द “पांच वर्ष” आया हो के स्थान पर, शब्द “तीन वर्ष” प्रतिस्थापित किया जाये.

No. L 2018-04-00428/Finance/Rules/IV. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Leave) Rules, 2010 namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In rule 11, for the words “five years”, wherever they occur, the words “three years” shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आवेक्षानुसार,
एस. के. चाक्रवर्ती, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2018

अधिसूचना

क्रमांक एल 2018-04-00428/वित्त/नियम/चार. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, मूलभूत नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

भाग 2 में, अध्याय 3 में, नियम 18 में, शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर, शब्द "तीन वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. L 2018-04-00428/Finance/Rules/IV. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Fundamental Rules, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In Part II, in Chapter III, in rule 18, for the words "five years", the words "three years" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव.